न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 184 / 2016

1 देवकरण उर्फ ओमप्रकाश पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी रस्या की ढाणी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 पुजा देवी पत्नी महेशकुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
2 तहसीलदार उदयपुरवाटी बहैसियत भूमिधारी।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी व मुकदमा नम्बर 329 / 2013 उनवानी
पुजादेवी बनाम राजस्थान सरकार अन्तिम डिक्री
दिनांक 30.03.2016

उपस्थिति :

1. श्री मदन सिंह गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रविन्द्र सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 6.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 329/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.03.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद विभाजन बाबत भूमि खसरा नम्बर 951, 952 वाके ग्राम बामलास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 951 में अपीलार्थीगण के मकानात बनाकर आबाद है एवं कुआ बना रखा है जिसमें विद्युत कनेक्शन है। कुआ खसरा नम्बर 950, 951 की पश्चिमी सीमा पर है कुये से उत्तर में खसरा नम्बर 952 में मंदिर बना रखा है। खसरा नम्बर 952 के उत्तर से ग्राम बामलास से उग्रसिंह की ढाणी को रास्ता जाता है अपीलार्थीगण ग्राम से खसरा नम्बर 952 के उत्तर पश्चिमी कोने से होकर अपने खेत में आते जाते है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट पुजा का दावा दिनांक 29.06.2015 को राजस्व रिकार्ड व कब्जा के अनुसार विधिवत विभाजन की डिकी पारित कर तहसीलदार उदयपुरवाटी को उभयपक्षकारों की उपस्थिति में रास्ते का प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव भिजवाने का आदेश जारी किया। नायब तहसीलदार उप तहसील गुढ़ागौड़जी ने दिनांक 28.02.2016 को विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा तैयार करवाकर विचारण न्यायालय को भिजवाया वो मौका पर कब्जा के अनुसार सही नहीं है खसरा नम्बर 951 रकबा 1.67 हैक्टेयर अपीलार्थीगण के हक में दिया गया है उसका कोई विवाद नहीं है। खसरा नम्बर 952 में .24 अपीलार्थीगण व 1.15

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

हैक्टेयर रेस्पोडेन्ट के हक में दिखलाया है उसमें रास्ता की भूमि का रकबा अलग नहीं दिया तथा अपीलार्थीगण के हिस्सा 952/1 की .24 हैक्टेयर भूमि में ही रास्ता की भूमि निकाल दी गई, अपीलार्थी खसरा नम्बर 952 की पश्चिमी सीमा पर काबिज है जिसमें अपीलार्थीगण का मन्दिर भी बना हुआ है। अपीलार्थीगण खसरा नम्बर 951 के पश्चिमी हिस्सा में आबाद है तहसीलदार ने अपीलार्थीगण का रास्ता खसरा नम्बर 952 की पूर्वी सीमा से काटकर दिया है जिससे मुख्य रास्ता से अपीलार्थीगण की आबादी तक 190 फुट की दुरी पड़ जाती है इससे 690 X 12 फुट = 8200 वर्ग फुट भूमि रास्ता में चली जाती है। विचारण न्यायालय ने 30.03.2016 को तहसीलदार के प्रस्ताव पर अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर ही अन्तिम डिक्री जारी कर दी जिसकी जानकारी भी अपीलार्थीगण को नहीं थी। रेस्पोडेन्ट ने विचारण न्यायालय की डिक्री की पालना करवाने के लिये इजराय 19.05.2016 को पेश की थी जिसकी पालना रिपोर्ट दिनांक 01.07.2016 की पेशी दी गई थी। 01.07.2016 को अपीलार्थी के ग्राम में राजस्व कैम्प था जिसमें अपीलार्थी उपस्थित हुये तब एस.डी.ओ. ने इजराय की पालना पूर्व में ही हो चुकने का नोट लगाकर पत्रावली खारिज फरमा दी। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि पक्षकारो के मध्य हिस्से को लेकर कोई विवाद नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट का मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है पक्षकारों के मध्य हिस्से को लेकर कोई विवाद नहीं है। विभाजन के लिए भी अपीलांट की आपत्ति नहीं है। इसीलिए अपीलांट द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री की अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलांट की आपत्ति है कि विभाजन में रास्ते की भूमि का अलग नम्बर अंकित नहीं किया गया है। रास्ते की भूमि के रकबे को सभी खातेदारों के हिस्से में से कम नहीं किया गया है। मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किये गये है। विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचित नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव अपीलांट की उपस्थिति में तैयार नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में विभाजन प्रस्ताव एवं अंतिम डिक्री को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2024 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 6.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर